समाहरणालय ,पूर्वी चम्पारण ,मोतिहारी

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

आदेश

वित्तीय वर्ष 2016 17 में व्यय हेतु गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपति के कारण राहत उप मुख्य शीर्ष --02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष 112 जनसंख्या का निष्क्रमण, उप शीर्ष--002 जनसंख्या का निष्क्रमण विपत्र कोड--N2245021120002, माग संख्या 39, विपत्र शीर्ष 31 06 सहायता अनुदान वेतनआदि के अलावा मद में विभागीय पत्रांक--01 आ0प्र0, दिनांक 11.04.2016 द्वारा इस जिला को प्राप्त मो0-- 6000000.00 (साठ लाख) रू0 के आवंटन में से अवशेष राशि कुल मो0 4500000.00 (पैंतालीस लाख) रू0 में से कुल मो0 500000.00 (पाँच लाख) रू0 निम्न अनुसार उपावंटित की जाती है।

यह उपावंटन गृहरक्षा वाहिनी के प्रशिक्षित गोताखोरों के भत्ता राशि एवं अन्य संभावित व्यय हेतु किया जा रहा है। साथ ही प्रधान सचिव, आपदा प्रबंध विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0--1604 दिनांक--02.05.2015 के आलोक में आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्त्ता एंव वरीय उप समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन के पास सरकार के किसी विभाग/संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया CUG मोबाईल उपलब्ध नही है। उन पदाधिकारियों को अपने निजी मोबाईल को रिचार्ज कराने हेतु प्रतिमाह 500.00 (पाँच सौ) रू0 की दर से राशि का भुगतान आबादी निष्क्रमण मद से होगा। यह आदेश अगले आदेश तक लागू माना जायेगा। और तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उपावंटित राशि का व्यय यथा संभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही किया जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय तथा अग्रिम के तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 विपत्र, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसका व्यय प्रतिवेदन एंव भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र अचूक रुप से इस कार्यालय को दिनांक--31.12.2016 तक भेजना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि यदि पूर्णत व्यय नही हो पाया तो इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेगें।

उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/ लघुशीष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रुप से की जाय अन्यथा आंकडे के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी की होगी। यह उपावंटित आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-- 2561वि0(2) दिनांक-- 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पूर्व में उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटन	कुल उपावंटन
1	2	3	4	5
1	जिला नजारत उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	शून्य	500000.00	500000.00

मो0 500000.00 (पाँच लाख)

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

ज्ञापांक-- 2[illegible] /आ0प्र0, दिनांक-- 8.8.16

प्रतिलिपि :-- जिला नजारत उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :-- कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :-- जिला प्रबंधक, आई0टी0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :-- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी